भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 248

सोमवार, 2 फ़रवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

पीएमवीबीआरवाई

248. **श्री मनीष जायसवाल:**
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री दिलीप शइकीया:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री आलोक शर्मा:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री भोजराज नाग:
श्री बिद्युत बरन महतो:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री अभिमन्यु सेठी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) की मुख्य विशेषताओं और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है और इसका ध्यान किन-किन क्षेत्रों पर केन्द्रित किया गया और रोजगार सृजन के लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन और डिजिटल पोर्टल एकीकरण सहित प्रतिष्ठानों और श्रमिकों के लिए पंजीकरण और ऑनबोर्डिंग प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान राज्य में पीएमवीबीआरवाई के कार्यान्वयन का, विशेषकर पंजीकृत प्रतिष्ठानों और श्रमिकों की संख्या कितनी है और पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

जारी--2/--

(घ) रोजगार के स्तर और औपचारिक क्षेत्र के रोजगार पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उक्त योजना के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए कोई निगरानी या मूल्यांकन ढांचा विकसित किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड़): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ईएलआई) को मंजूरी दी है जिसका नाम 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' रखा गया है । इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। यह योजना 15 अगस्त 2025 को शुरू की गई थी। इस योजना की पंजीकरण अवधि 01.08.2025 से 31.07.2027 तक दो वर्ष की है और इसका बजटीय परिव्यय ₹99,446 करोड़ है। यह योजना दो भागों, अर्थात् भाग 'क' और भाग 'ख' में विभाजित है और यह प्रोत्साहन के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। योजना के भाग 'क' के तहत 1.92 करोड़ नए पात्र कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान है। योजना के भाग 'ख' के तहत नियोक्ताओं को लगभग 2.59 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के सृजन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए एक समर्पित पोर्टल (pmvbry.epfindia.gov.in) विकसित किया गया है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के तहत 28.01.2026 तक, राजस्थान में कुल 19,975 प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 1,49,349 नए कर्मचारी और 3,62,144 पुनः कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी शामिल हैं; इनमें पाली जिले के लाभार्थी भी सम्मिलित हैं।

योजना की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रम प्रधान और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों वाली एक संचालन समिति और एक आंतरिक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।
